

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District - Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन की तथ्यात्मक रिपोर्ट

प्रयोक्ता अभिकरण, ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. हाऊस नम्बर 6-3-680/813, प्लॉट नं. 03, द्वितीय तल, पी.एम.आर. प्लाजा, ठाकुर मैन्सन लेन, सोमजीगुड़ा, हैदराबाद द्वारा ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. के 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट से निर्मित विद्युत को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765/400/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 220 के.वी एस/सी विद्युत लाईन के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विभागीय पोर्टल के माध्यम से जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के प्रेषित किये गये हैं।

चूंकि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लान्ट एवं प्रस्तावित सम्पूर्ण विद्युत लाईन गैर वन भूमि पर प्रस्तावित की गयी है एवं कोई भी टॉवर लोकेशन वन भूमि में नहीं आ रही है परन्तु पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के ग्रिड सब स्टेशन एवं 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.11) गुजर रहा है एवं उक्त राजमार्ग को रक्षित वन पट्टी घोषित किया हुआ है।

अतः राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये बिना पारक्षण लाईन का कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित विद्युत लाईन के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन आवश्यक है एवं वांछित वन भूमि न्यूनतम है। वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि से तार खींचने का कार्य किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

राज्य में बिजली संकट एवं राजहित को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप से स्पष्टिकरण मांग कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार जांच कर जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ. आई.आर. संख्या 12/76 दिनांक 28.05.2022 दर्ज की गयी है, द्वारा विभागीय खाना संख्या 17/58 दिनांक 28.05.2022 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से राशि रुपये 75000/- (अक्षरे पचहत्तर हजार रुपये) का जुर्माना किया गया एवं उक्त जुर्माना राशि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर ली गई है तथा विभाग मद में ई-चालान द्वारा जमा कर दी गई है, जिसकी प्राप्ति ई-चालान रसीद संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण को भविष्य में इस प्रकार का बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य न करने के लिए निर्देशित किया गया है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है (संलग्न)।

कृ.पृ.उ.


उप वन संरक्षक
जोधपुर

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वन अधिकारी से दोषी कर्मचारियों की जांच कर विवरण भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है एवं जांच प्रक्रियाधीन है । जांच सम्पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.1750 हेक्टेयर वन भूमि पर बिना स्वीकृति के कार्य किया गया है जिसके उल्लंघन स्वरूप वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिरोपित होने वाली राशि का विवरण पृथक से परिवेश पोर्टल पर फार्म अ पार्ट-2 में अपलोड किया गया है ।

उक्त कार्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाई गयी है एवं वन क्षेत्र में तार खींचने के अलावा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

भवदीय


(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
उप वन संरक्षक
जोधपुर